


**न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
आज्ञा - पत्र**

उपरोक्त **श्रीपाल** बनाम **श्रीहनुमाल**
 किस्म मुकद्दमा **१२३** मि० नं० **१५२/१५** सन्
 अभिभाषक अपीलान्त **श्री रीकेश कुमार जैन** अभिभाषक रैस्पॉन्डेंट **श्री वी.एल माहेडवरी**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
<p>8-1-2021</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उपस्थित। अर्थात्स्य न्यायिका का रिकार्ड तलब कर / रैस्पॉन्डेंट को पत्रावली जाकर यह पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>पत्रावली कोर्ट केम आलकाड पेश हुई / अभिभाषक अपीलान्त उपस्थित नहीं। कार-कार साकारे लगवाई गई कोर्ट भी उपस्थित नहीं हुआ। जन. पत्रावली अदम शेजरी एवं अदम पेशी में रकॉर्ड की जाती है / पत्रावली फौजदारी केम आलकाड नामील तक मील दाखिल इफ्तार है।</p> <p align="right">(महेन्द्र लोका) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)</p>	<p>R-5 ल० R-17 तलवी शेष</p> <p align="right">अदम शेजरी</p> 

- निवासी नयागाँव मण्डविर तहसील असनविर जिला
झालावाड़ रजि०
- 11- राजूबाई पुत्री नारायण जाति माली निवासी सारथल
तहसील छबड़ा जिला बरि रजि०
- 12- काशत्यबाई पुत्री रामनारायण पत्नी मुरली जाति
माली निवासी नयागाँव मण्डविर तहसील असनविर
जिला झालावाड़ रजि०
- 13- मनभरी अवयस्क पुत्री रामनारायण संरक्षक कान्तीबाई
माता जाति माली निवासी नयागाँव मण्डविर
तहसील असनविर जिला झालावाड़ रजि०
- 14- मनोज अवयस्क पुत्र रामनारायण संरक्षक कान्तीबाई
माता जाति माली निवासी नयागाँव मण्डविर
तहसील असनविर जिला झालावाड़ रजि०
- 15- मोत्याबाई बेवा हजारी जाति माली निवासी
नयागाँव मण्डविर तहसील असनविर जिला झालावाड़
- 16- कान्तीबाई बेवा रामनारायण जाति माली निवासी
नयागाँव मण्डविर तहसील असनविर जिला झालावाड़
- 17- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार असनविर
जिला झालावाड़ रजि०

---रेस्पॉडेन्ट्स

अपील बनाराजी डिक्री व निर्णय उपखण्ड
अधिकारी असनविर जिला झालावाड़ दिनांक-
24-7-2015 वाद संख्या 36/2014 रजि०
603/2008 अन्तर्गत धारा 223 रजि० टीनेन्सी एक्ट

मान्यवर,

अपीलान्ट प्रतिवादीगण निम्न अपील प्रस्तुत करते ह:-

अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड़ में
वादीगण ने एक वाद प्रस्तुत किया जो अन्तरित होकर उपखण्ड
अधिकारी असनविर को प्राप्त हुआ। वाद में वादीगण द्वारा


4/11/2015